

## निविदा सूचना (ट्रान्सपोर्ट / दुलान)

“ऑचल” पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न दुग्ध अवशीतन केन्द्रों/विभिन्न संस्थाओं/राजकीय विभागों, को पशु-पक्षी आहार, काम्पैक्ट फीड ब्लाक, मिनरल मिक्सचर एवं साईलेज के दुलान/परिवहन सम्बन्धी विभिन्न मार्गों/स्थानों हेतु परिवहन, निविदायें, रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से इस संस्था के पते पर आमत्रित की जाती है। **इच्छुक परिवहनकर्ता/** निविदादाता, दिनांक 27.09.2018 से 11.10.2018 तक कार्यालय अवधि में निविदा प्रपत्र (शर्तों सहित) ₹1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) रुपये, जी0एस0टी0 सहित नकद/बैंक ड्राफ्ट भुगतान कर, “ऑचल” पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) अथवा यू0सी0डी0एफ0 लि0, मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय से कार्य दिवसों में क़य कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र यू0सी0डी0एफ0 की बैबसाइट [www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org) से सीधे डाउन लोड भी किये जा सकते हैं। बैबसाइट से डाउन लोड निविदा प्रपत्र के साथ ₹1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) रुपये, जी0एस0टी0 सहित का बैंक ड्राफ्ट, जो कैटिल फीड फैक्ट्री रूद्रपुर के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदायें, दिनांक 12.10.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक “ऑचल” पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 12.15 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। **बन्द लिफाफे के ऊपर “ऑचल” पशु-पक्षी आहार या काम्पैक्ट फीड ब्लाक के परिवहन हेतु निविदा लिखा होना आवश्कीय है।** बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा/निविदाओं को बिना कारण, बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।

(डा0एच0एस0कुटौला)  
सामान्य प्रबन्धक

कार्यालय-पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर,  
(उधमसिंहनगर)

दूरभाष संख्या 05944-244510, 242552

Website. [www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org)

पशु-पक्षी आहार/साइलेज के परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र क्रमांक - .....

निविदा पत्र मूल्य -1180.00 (जीएसटी सहित)

निविदा सूचना संख्या 01/पशु-पक्षी आहार/साइलेज परि0/2018-19

दिनांक 12.10.2018

सामान्य प्रबन्धक

पशु आहार निर्माणशाला  
रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर,(उधमसिंहनगर)  
पशु—पक्षी आहार/साईलेज परिवहन हेतु निविदा फार्म (शर्तों सहित)

(01) नाम—निविदादाता.....

(02) पिता/पति का नाम.....

(03) स्थाई पता.....

.....

.....

(04) पत्र व्यवहार का पता.....

.....

.....

(05) फोन/दूरभाष संख्या.....(ख) मोबाईल नम्बर.....

(06) वाहनों का प्रकार ..... एवं उनकी भार क्षमता.....

.....

(07) अर्नेस्ट मनी का विवरण :- (क) बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... धनराशि.....  
 बैंक का नाम.....

(ख) नकद रसीद संख्या..... दिनांक..... धनराशि.....

(08) पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर से गतव्य स्थानवार प्रति कुन्तल के हिसाब से परिवहन दरें :-

क्र०स०	गतव्य स्थान का नाम	परिवहन दरें ₹ प्रति कुन्तल (अंको में)	परिवहन दरें ₹ प्रति कुन्तल (शब्दों में)
01	ऋषिकेश		
02	लण्डौरा (हरिद्वार)		
03	कालसी (देहरादून)		
04	दुग्ध अवशीतन केन्द्र हर्बटपुर (देहरादून)		
05	लालकुआं (नैनीताल)		
06	कालाढुगी		
07	छोई (रामनगर)		
08	कछियालेख		
09	खन्स्यू (नैनीताल)		
10	वेतालघाट (नैनीताल)		

11	हेडिया गाँव (चाँफी घिघरानी)		
12	कोटद्वार		
13	काशीपुर		
14	बाजपुर (दोराहा)		
15	प्रतापपुर, खटीमा (उ०सि०न०)		
16	खटीमा (उधमसिंहनगर)		
17	कोधारतन / बिज्डी		
18	लालपुर कालोनी, (जसपुर)		
19	उत्तरकाशी		
20	टिहरी		
21	चमोली		
22	सिमली (चमोली)		
23	खलियाडवांगर		
24	रूद्रप्रयाग		
25	श्रीनगर (गढवाल)		
26	नरियाल गाँव, (चम्पावत)		
27	मक्कू (रूद्रप्रयाग)		
28	मुनि की रेती (नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल)		
29	चम्पावत (पशुपालन विभाग)		
30	गुन्दियाटगाँव (उत्तरकाशी)		
31	नेटबाड (उत्तरकाशी)		
32	टुण्डा देवीधार (उत्तरकाशी)		
33	ज्ञानसू (उत्तरकाशी)		
34	गौरसैण (चमोली)		
35	भराडीसैण (चमोली)		
36	लगासू (कर्णप्रयाग)		
37	नन्दप्रयाग (चमोली)		
38	पोखरी (चमोली)		
39	केदारकांठा (चमोली)		
40	ग्वाल्दम थराली (चमोली)		
41	घाट (चमोली)		
42	बंगाली घाट (चमोली)		

43	पीपलकोठी (चमोली)		
44	हैलंग जोशीमठ (चमोली)		
45	जोशीमठ (चमोली)		
46	देवाल		
47	नारायण बगड		
48	कमेडी (बागेश्वर)		

नोट:- उपरोक्त स्थानों से अतिरिक्त कही अन्यत्र स्थानों हेतु भेजे जाने पर निकटतम स्टेशन की दूरी की अनुमोदित दर के आधार पर प्रति कुन्तल, प्रति कि०मी० की दूरी की दर से उक्त स्थान का भुगतान किया जायेगा एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता को उक्त स्थान पर पशु-पक्षी आहार, /साईलेज, काम्पैक्ट फीड ब्लाक, एवं मिनरल मिक्सचर पहुँचाना होगा।

हस्ताक्षर

(निविदादाता)

**कार्यालय-पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रुद्रपुर,(उधमसिंहनगर)  
पशु-पक्षी आहार/साईलेज की विभिन्न स्थानों की आपूर्ति/दुलान हेतु निविदा शर्तें**

01. निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायेगी।
02. निविदा की प्रतिष्ठियाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट एवं बिना काटपीट/ओवर राइटिंग स्पष्ट रूप से पठनीय भरी जानी आवश्यक होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रविष्ठियों में काटपीट होने की स्थिति में इस पर तारीख सहित निविदादाता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
03. निविदायें लिफाफों में पंजीकृत डाक से अथवा कोरियर के माध्यम से पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाई पास रोड, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यालय में दिनांक 12.10.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर "ऑचल" पशु-पक्षी आहार/साईलेज परिवहन" हेतु निविदा लिखना भी अनिवार्य होगा। निविदा सस्था के निविदा बाक्स में भी तद दिनांक 12.10.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक डाली जा सकती है।
04. निविदादाता को निविदा के साथ, नकद अथवा Cattle Feed Factory Rudrapurके पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट से **₹15,000.00** (पन्द्रह हजार) रुपये मात्र अर्नेस्टमनी जमा करनी आवश्यक होगी। अर्नेस्टमनी नकद दिनांक 11.10.2018को सांय 05.00 बजे तक जमा की जायेगी। अर्नेस्टमनी के बैगर निविदा विचार हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी।
05. निविदास्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को जमानत राशि हेतु **₹1,50,000.00** (एक लाख, पचास हजार) रुपये जमानत राशि नकद अथवा,एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में, कैटिल फीड फैंक्ट्री रुद्रपुर के नाम जमा करनी होगी।
06. न्यूनतम दरों के आधार पर निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को 'ऑचल पशु आहार निर्माणशाला,के साथ **₹100.00**(एक सौ)रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य अनुबन्ध करना होगा।  
इससे सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य अनुबन्ध न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी की धनराशि इस संस्था द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
07. कार्य अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि का होगा, जिसे संस्था द्वारा आवश्यकता पडने पर तीन-तीन माह की अवधि के लिये आगे दो बार बढ़ाया जा सकता है।
08. निविदादाता द्वारा परिवहन दरें गंतव्य स्थानवारप्रति कुन्तल के हिसाब से दी जायेगी।चाहे मात्रा कितनी भी कम

या अधिक क्यो न हो, परिवहनकर्ता वाहन की स्वीकृत क्षमता के आधार पर ही परिवहन करेगा। जिसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

09. संस्था द्वारा सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर को वाहन की आवश्यकता पडने पर दूरभाष से अथवा लिखित में वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचना के 24 घण्टे के अन्दर संस्था को वाहन उपलब्ध कराना सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लिये अनिवार्य होगा। सूचना के निर्धारित अवधि तक भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर इस संस्था द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में इस संस्था को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पडता है, तो अधिक व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लम्बित बिलों अथवा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी।

10. टोल टैक्स, पुल टैक्स आदि समस्त व्ययों का भुगतान सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। जो निविदा के समय देय होंगे। निविदा के उपरान्त पडने वाले टोल टैक्स, पुल टैक्स, इत्यादि का व्यय—'भार परिवहनकर्ता द्वारा रसीद उपलब्ध कराने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

11. यदि परिवहन कर्ता द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता अथवा कार्य छोडने की स्थिति में संस्था को यह अधिकार होगा, कि तीन नोटिस के उपरान्त सम्बन्धित परिवहनकर्ता का टैण्डर निरस्त कर, उसके द्वारा

जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त कर ली जायेगी।

12. पशु—पक्षी आहार के परिवहन एवं अनलोडिंग के बिलों का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा ही किया जायेगा।

13. भेजे जाने वाले माल की गतव्य स्थान तक पूर्ण मात्रा में अच्छी एवं सही स्थिति में समय से पहुँचाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा। माल प्राप्ति की रसीद भी इस संस्था को उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर की होगी। परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति में हुई हानि की क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा।

14. संस्था द्वारा निविदा कराने के पश्चात यदि कोई नया स्थान पशु—पक्षी आहार की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर के आधार पर 05 से 10 कि०मी० की परिधि में सृजित

स्थान की दर नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर मान्य होगी एवं उससे अधिक दूरी पर प्रति कि०मी० प्रति कुन्तल के आधार पर अनुमोदित होगी। गतव्य स्थान के अतिरिक्त यदि आवश्यकता पडती है, तो इससे पूर्व एक संस्था पर भी माल उतारना होगा।

15. निविदा खुलते समय मात्र निविदादाता या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रहेगा। अधिकृत प्रतिनिधि

की दशा में प्रतिनिधि के पास प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

16 निविदादाता के पास स्वयं का वाहन होना आवश्यक है। प्रमाण हेतु वाहन के पंजीयन की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे या फर्म (ट्रान्सपोर्टर) पंजीकृत हो, जिसका प्रमाण निविदा में संलग्न होना चाहिए।

17. डीजल की दरें घटने व बढ़ने पर अन्तर की धनराशि की कटौती/भुगतान वाहन के औसत (एवरेज) के आधार

पर निर्धारित दूरी के अनुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा देय होगी। जिसमें छोटे वाहन (09 मैटन तक) का एवरेज

04 कि०मी० प्रति लीटर (09 मैटन से 25 मैटन तक) का एवरेज 03 कि०मी० प्रति लीटर होगा।

18. सफल निविदादाता को अपने वाहन की फिटनेस, परमिट, प्रदूषण एवं बीमा सम्बन्धी प्रपत्र 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से संस्था में जमा कराने होंगे, अन्यथा संस्था में जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

19. निविदा 02 बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग निम्नानुसार प्रेषित करनी होगी।

**(अ) तकनीकी बिड** में निविदादाता को निम्न प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म को तकनीकी आधार पर अयोग्य करार कर दिया जायेगा।

(ब) परिवहनकर्ता को जी०एस०टी०नम्बर।

(स) पैन कार्ड

(द) निविदादाता का स्थायी पता (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)

(य) वाहन का रजिस्ट्रेशन

(र) निविदा मूल्य जमा रसीद

(ल) धरोहर धनराशि जमा करने सम्बन्धी ड्राफ्ट/संस्था की रसीद की मूलप्रति

### **(ब) वित्तीय बिड**

इस निविदा में दिये गये दर अंकन प्रपत्र में दिये गये विभिन्न स्थानों की पृथक-पृथक दरें दी जानी है।

20. पशु आहार निर्माणशाला एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में इसकी अपील एवं अन्तिम निर्णय का अधिकार, निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पास सुरक्षित रहेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

21. किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, सामान्य प्रबन्धक, पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित रहेगा।

सामान्य प्रबन्धक  
पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर।



घोषणा:— मैंने उपरोक्त समस्त दरें अपने विवेक से दी है, तथा दी गयी समस्त शर्तों से सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर किये गये है।

हस्ताक्षर

निविदादाता

कार्यालय-पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर,  
(उधमसिंहनगर)

दूरभाष संख्या 05944-244510, 242552

Website. [www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org)

काम्पैक्ट फीड ब्लॉक परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र क्रमांक - .....

निविदा पत्र मूल्य -1180.00 रुपये (जी०एस०टी०सहित)

निविदा सूचना संख्या 01 / का०फी०ब्लॉक / सी०एफ०पी० / 2018-2019

दिनांक 12.10.2018

सामान्य प्रबन्धक  
पशु आहार निर्माणशाला  
रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रुद्रपुर,(उधमसिंहनगर)  
काम्पैक्ट फीड ब्लॉक परिवहन हेतु निविदा फार्म (शर्तों सहित)

- (01) नाम—निविदादाता.....
- (02) पिता/पति का नाम.....
- (03) स्थाई पता.....  
.....  
.....
- (04) पत्र व्यवहार का पता.....  
.....
- (05) फोन/दूरभाष संख्या..... मोबाईल नम्बर.....  
.....
- (06) वाहन का प्रकार ..... एवं भार क्षमता.....
- (07) अर्नेस्ट मनी का विवरण :- (क) बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....  
बैंक का नाम.....
- (ख) नकद रसीद संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....
- (08) पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर से गतव्य स्थानवार प्रति कुन्तल के हिसाब से परिवहन दरें :-

## काम्पैक्ट फीड ब्लॉक के सेन्टरों की सूची-

क्र०स०	गतव्य स्थान का नाम	परिवहन दरें ₹ प्रति कुन्तल (अंको में)	परिवहन दरें ₹ प्रति कुन्तल (शब्दों में)
01	भवाली (नैनीताल)		
02	भीमताल(हैडिया गाँव खुटानी)		
03	द्वाराघाट (बंगवाली पोखर)		
04	वेतालघाट (नैनीताल)		
05	अल्मोडा (पाताल देवी)		
06	लालकुआ (नैनीताल)		
07	मारचूला (अल्मोडा)		
08	चौखुटिया (अल्मोडा)		
09	ताडीखेत (अल्मोडा)		
10	सोमेश्वर (अल्मोडा)		
11	देघाट (अल्मोडा)		
12	चायखाना (अल्मोडा)		
13	धौला देवी (अल्मोडा)		
14	वाडीछीना (अल्मोडा)		
15	फलवूवैन्ड (अल्मोडा)		
16	कमेडी (बागेश्वर)		
17	कपकोट (बागेश्वर)		
18	गरुड (बागेश्वर)		
19	पिथौरागढ (विण)		
20	पिथौरागढ (गंगोली हाट)		
21	पिथौरागढ (थल)		
22	पिथौरागढ (धारचूला)		
23	चम्पावत		
24	लोहाघाट (चम्पावत)		
25	पाटी (चम्पावत)		
26	बराकोट (चम्पावत)		
27	नरियाल गाँव, (चम्पावत)		
28	चमोली		
28	सिमली (चमोली)		
30	खन्स्यू (नैनीताल)		
31	तुराचौड (सल्ट) अल्मोडा		
32	लमगडा (अल्मोडा)		
33	भिकियासैण, बासोट, (अल्मोडा)		
34	हल्द्वानी (नैनीताल)		

35	छोई (रामनगर)		
36	कालाढुगी (नैनीताल)		
37	लालपुर, कालोनी, (उ०सि०न०)		
38	बाजपुर, (दोराहा)		
39	शक्तिपुरी (उधमसिंहनगर)		
40	प्रतापपुर, (उ०सि०न०)		
41	खटीमा		
42	ऋषिकेष		
43	देहरादून		
44	विकासनगर		
45	हरबर्टपुर		
46	कालसी		
47	देवाल (चमोली)		
48	गैरसैण (चमोली)		
49	नारायण बंगड (चमोली)		
50	बस्सी जयपुर, (राजस्थान)		
51	नारवा खिचियान, जिला(जोधपुर)		
52	भराडीसैण (चमोली)		
53	मुक्तेश्वर (नैनीताल)		
54	धारी (नैनीताल)		
55	वाशीपुर (उधमसिंहनगर)		
56	जसपुर (उधमसिंहनगर)		
57	नानकमत्ता (उधमसिंहनगर)		
58	टनकपुर (चम्पावत)		
59	गूलरभोज (उधमसिंहनगर)		
60	मुनाकोट (पिथौरागढ़)		
61	कनालीछीना (पिथौरागढ़)		
62	मतकोट (पिथौरागढ़)		
63	पोखरी (चमोली)		
64	घाट (चमोली)		
65	ग्वालदम (चमोली)		
66	रामगढ़ (नैनीताल)		
67	बेरीनाग (पिथौरागढ़)		
68	परमा (हल्द्वीचौड)		
69	तोल्यो (स्याल्दे) अल्मोडा		

70	स्याल्दे (अल्मोडा)		
71	कोटाबाग (नैनीताल)		
72	जोशीमठ (चमोली)		
73	लगासु (चमोली)		
74	नन्दप्रयाग(चमोली)		
75	पांखु (पिथौरागढ)		
76	कांडा (बागेश्वर)		
77	रानीखेत (अल्मोडा)		
78	गौचर (चमोली)		
79	सोनप्रयाग (रुद्रप्रयाग)		
80	डीडीहाट (पिथौरागढ)		

नोट:- उपरोक्त स्थानों से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र स्थानों हेतु भेजे जाने पर निकटतम स्टेशन की दूरी की अनुमोदित दर के आधार पर प्रति कुन्तल, प्रति कि०मी० की दूरी की दर से उक्त स्थान का भुगतान किया जायेगा एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता को उक्त स्थान पर काम्पैक्ट फीड ब्लाक आहार पहुँचना होगा।

हस्ताक्षर

(निविदादाता)

**कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर,(उधमसिंहनगर)**  
**काम्पैक्ट फीड ब्लॉक परिवहन हेतु निविदा शर्तें**

01. निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायेगी।
02. निविदा की प्रतिष्ठियाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट एवं बिना काटपीट/ओवर राइटिंग स्पष्ट रूप से पठनीय भरी जानी आवश्यक होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रविष्ठियों में काटपीट होने की स्थिति में इस पर तारीख सहित निविदादाता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
03. निविदायें लिफाफों में पंजीकृत डाक से अथवा कोरियर के माध्यम से पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाई पास रोड, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यालय में दिनांक 12.10.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर “ऑचल” काम्पैक्ट फीड ब्लॉक परिवहन” हेतु निविदा लिखना भी अनिवार्य होगा। निविदा सस्था के निविदा बाक्स में भी तद दिनांक 12.10.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक डाली जा सकती है।
04. निविदादाता को निविदा के साथ, नकद अथवा Cattle Feed Factory Rudrapurके पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट से **₹10,000.00** (दस हजार) रुपये मात्र अर्नेस्टमनी जमा करनी आवश्यक होगी। अर्नेस्टमनी नकद दिनांक 11.10.2018को सांय 05.00 बजे तक जमा की जायेगी। अर्नेस्टमनी के बैगर निविदा विचार हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी।
05. निविदास्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को जमानत राशि हेतु **₹70,000.00** (सत्तर हजार) रुपये जमानत राशि नकद अथवा,एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में, कैटिल फीड फैक्ट्री रूद्रपुर के नाम जमा करनी होगी।
06. न्यूनतम दरों के आधार पर निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को ‘ऑचल पशु आहार निर्माणशाला,के साथ **₹100.00**(एक सौ)रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य अनुबन्ध करना होगा।  
इससे सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य अनुबन्ध न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी की धनराशि इस संस्था द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
07. कार्य अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि का होगा, जिसे संस्था द्वारा आवश्यकता पडने पर तीन-तीन माह की अवधि के लिये आगे दो बार बढ़ाया जा सकता है।

08. निविदादाता द्वारा परिवहन दरें गंतव्य स्थानवारप्रति कुन्तल के हिसाब से दी जायेगी। चाहे मात्रा कितनी भी कम या अधिक क्यों न हो, परिवहनकर्ता वाहन की स्वीकृत क्षमता के आधार पर ही परिवहन करेगा। जिसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
01. संस्था द्वारा सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर को वाहन की आवश्यकता पडने पर दूरभाष से अथवा लिखित में वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचना के 24 घन्टे के अन्दर संस्था को वाहन उपलब्ध कराना सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लिये अनिवार्य होगा। सूचना के निर्धारित अवधि तक भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर इस संस्था द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में इस संस्था को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पडता है, तो अधिक व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लम्बित बिलों अथवा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी।
10. टोल टैक्स, पुल टैक्स आदि समस्त व्ययों का भुगतान सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। जो निविदा के समय देय होंगे। निविदा के उपरान्त पडने वाले टोल टैक्स, पुल टैक्स, इत्यादि का व्यय—'भार परिवहनकर्ता द्वारा रसीद उपलब्ध कराने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
11. यदि परिवहन कर्ता द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता अथवा कार्य छोडने की स्थिति में संस्था को यह अधिकार होगा, कि तीन नोटिस के उपरान्त सम्बन्धित परिवहनकर्ता का टैण्डर निरस्त कर, उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त कर ली जायेगी।
12. काम्पैक्ट फी0 ब्लाक(दुधारू एवं राहत) के परिवहन एवं अनलोडिंग बिलों का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा ही किया जायेगा।
13. भेजे जाने वाले माल की गतव्य स्थान तक पूर्ण मात्रा में अच्छी एवं सही स्थिति में समय से पहुँचाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा। माल प्राप्ति की रसीद भी इस संस्था को उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर की होगी। परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति में हुई हानि की क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा।
14. संस्था द्वारा निविदा कराने के पश्चात यदि कोई नया स्थान पशु-पक्षी आहार की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर के आधार पर 05 से 10 कि0मी0 की परिधि में सृजित



स्थान की दर नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर मान्य होगी एवं उससे अधिक दूरी पर प्रति कि०मी० प्रति कुन्तल के आधार पर अनुमोदित होगी। गतव्य स्थान के अतिरिक्त यदि आवश्यकता पडती है, तो इससे पूर्व एक संस्था पर भी माल उतारना होगा।

15 निविदा खुलते समय मात्र निविदादाता या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रहेगा। अधिकृत प्रतिनिधि

की दशा में प्रतिनिधि के पास प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

16 निविदादाता के पास स्वयं का वाहन होना आवश्यक है। प्रमाण हेतु वाहन के पंजीयन की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे या फर्म (ट्रान्सपोर्टर) पंजीकृत हो, जिसका प्रमाण निविदा में संलग्न होना चाहिए।

17. डीजल की दरें घटने व बढ़ने पर अन्तर की धनराशि की कटौती/भुगतान वाहन के औसत (एवरेज) के आधार

पर निर्धारित दूरी के अनुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा देय होगी। जिसमें छोटे वाहन (09 मै०टन तक) का एवरेज

04 कि०मी० प्रति लीटर (09 मै०टन से 25 मै०टन तक) का एवरेज 03 कि०मी० प्रति लीटर होगा।

18. सफल निविदादाता को अपने वाहन की फिटनेस, परमिट, प्रदूषण एवं बीमा सम्बन्धी प्रपत्र 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से संस्था में जमा कराने होंगे, अन्यथा संस्था में जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

19. निविदा 02 बिड सिस्टम के अर्न्तगत आमंत्रित की जाती है। जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग निम्नानुसार प्रेषित करनी होगी।

**(अ) तकनीकी बिड** में निविदादाता को निम्न प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म को तकनीकी आधार पर अयोग्य करार कर दिया जायेगा।

(ब) परिवहनकर्ता को जी०एस०टी०नम्बर।

(स) पैन कार्ड

(द) निविदादाता का स्थायी पता (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)

(य) वाहन का रजिस्ट्रेशन

(र) निविदा मूल्य जमा रसीद

(ल) धरोहर धनराशि जमा करने सम्बन्धी ड्राफ्ट/संस्था की रसीद की मूलप्रति

### **(ब) वित्तीय बिड**

इस निविदा में दिये गये दर अंकन प्रपत्र में दिये गये विभिन्न स्थानों की पृथक-पृथक दरें दी जानी है।

20. पशु आहार निर्माणशाला एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में इसकी अपील एवं अन्तिम निर्णय का अधिकार, निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पास सुरक्षित रहेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

21. किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, सामान्य प्रबन्धक, पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित रहेगा।

सामान्य प्रबन्धक  
पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर।  
घोषणा:— मैंने उपरोक्त समस्त दरें अपने विवेक से दी है, तथा दी गयी समस्त शर्तों से सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर किये गये हैं।

हस्ताक्षर

निविदादाता